राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भगवानसहाय बनाम घीसी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/01/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
09/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम नया गाँव तहसील बस्सी में भूमि खसरा नम्बर 11, 27, 29, 30, 31, 33, 37 एवं 46 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा एवं भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा एवं भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा स्थित है | भूमि खसरा नम्बर 26 घासी पुत्र लक्ष्मण की अकेले की खातेदारी में तथा भूमि खसरा नम्बर 43 में घासी 1/2 भाग का तथा शेष भूमि में घासी 1/8 भाग का सहकृषक था तथा बाकी हिस्सों के अन्य हिस्सेदारसहकृषक है | घासी के तीन पुत्र कजोड, बद्रीनारायण एवं भगवानसहाय थे, जिसमे कजोड का स्वर्गवास घासी के जीवनकाल में ही हो गया | वादीगण में वादीनी संख्या 1 उसकी पत्नी तथा वादिनी संख्या 2 उसकी पुत्री है | घासी का स्वर्गवास सन 1998 में हो गया | उसकी मृत्यु के पश्चात उनके हिस्से की उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण 1/4 भाग, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 प्रत्येक 1/4 भाग के हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत उत्तराधिकारी होने सहकृषक हुए तथा अपने हिस्सों के अनुसार भूमि पर काबिज है | प्रतिवादीगण ने घासी के मरने के बाद वादीगण को जानकारी दिये बिना घासी के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण चुपचाप अपने प्रत्येक के नाम 1/8 भाग का स्वीकार कर लिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नही था, क्योकी घासी के उत्तराधिकारी होने से उनके हिस्से की भूमि में वादीगण 1/4 भाग के सहकृषक है तथा 1/4 भाग की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है | वादीगण की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 के हक़ में हुये नामान्तकरण की जानकारी होने पर उन्होंने विधिवत अपील प्रस्तुत कर दी है किन्तु अपने हक़ में हुये गलत नामान्तरकरण के आधार पर प्रतिवादीगण भूमि को वादीगण को उनके अधिकारों से वंचित करने की दृष्टि से भूमि को अन्य लोगो को हस्तान्तरित करना चाहते है | अत: वादीगण को इसकी जानकारी होने पर उन्होंने प्रतिवादीगण की भूमि घासी के हिस्से की भूमि में वादीगण का नाम भी 1/4 भाग पर अंकित कराकर खाता दुरुस्त कराने की कहा तो दिनांक 05/03/1999 को स्पष्ट मना कर दिया, जिस कारण वादी को घोषणा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भगवानसहाय बनाम घीसी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार रिवाईज कैम्प लालगढ़ में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2017 पारित कर वादीगण का वाद डिक्री फरमाते हुये ग्राम नया गाँव तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 11, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 46 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा एवं भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा एवं भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा में घासी पुत्र लक्ष्मण के हिस्से के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2017 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को राजस्व लोक अदालत में नियत कर बिना पक्षकारान द्वारा सहमति व्यक्त किये ही सरसरी तौर पर निर्णय व डिक्री कर दिया गया, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार राजस्व लोक अदालत में केवल मात्र सहमति से प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है अन्यथा घोषणा के वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर राजस्व लोक अदालत में बिना पक्षकारान की सहमति के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/07/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर